**बिहार सरकार**
**राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग**
**(भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय)** 9158 12/12/2023

संख्या :– 03 / 02–राज्य यो0(2)विशेष सर्वेक्षण अमीन(आरोप)शेखपुरा–36 / 2022...... पटना, दिनांक :–

## आदेश

बंदोबस्त पदाधिकारी, शेखुपरा के पत्रांक 765 दिनांक 05.09.2023 द्वारा सुश्री रितिका राज, विशेष सर्वेक्षण अमीन (AEN01018) के विरूद्ध मौजा कसार थाना संख्या – 289 का खानापुरी कार्य 287 दिन बीत जाने के बाद भी पूर्ण नहीं किए जाने एवं दिनांक 24.06.2023 से 04.09.2023 तक अनाधिकृत अनुपस्थित रहने के साथ यह भी प्रतिवेदित किया गया है कि ये अपने साथ गैरहाजरी पंजी एवं सत्यापित वंशावली पंजी लेकर चली गयी है तथा दूरभाष पर सम्पर्क कर वापस आने हेतु कहा जाता है, परन्तु बीमारी का बहाना बनाकर आने से इन्कार कर दिया गया है। उपरोक्त प्रतिवेदित आरोपों के लिए इनका संविदा नियोजन समाप्त करने की अनुशंसा की गयी है।

प्राप्त अनुशंसा के आलोक में भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय के पत्रांक 8326 दिनांक 03.10.2023 द्वारा आरोपित से 03 दिनों के अन्दर इस शर्त्त के साथ स्पष्टीकरण की मांग की गयी कि निर्धारित अवधि तक स्पष्टीकरण प्राप्त नहीं होने की स्थिति में प्राप्त अनुशंसा के आलोक में एक पक्षीय कार्रवाई की जाएगी। इतने स्पष्ट निदेश के बावजूद डेढ़ माह की अवधि बीत जाने के बाद भी इनके द्वारा स्पष्टीकरण समर्पित नहीं किया गया है।

पुनः निदेशालय पत्रांक 8325 दिनांक 03.10.2023 एवं स्मार पत्रांक 8744 दिनांक 01.11.2023 द्वारा सुश्री रितिका के विरूद्ध प्रतिवेदित आरोप के संबंध में बंदोबस्त कार्यालय स्तर से की गयी कार्रवाई से संबंधित प्रतिवेदन की मांग बंदोबस्त पदाधिकारी से की गयी है। बंदोबस्त पदाधिकारी के पत्रांक 910 दिनांक 03.11.2023 द्वारा इस कार्यालय को प्रतिवेदन भेजा गया है। बंदोबस्त पदाधिकारी द्वारा यह प्रतिवेदन दिया गया है कि कार्यालय स्तर से पत्रांक 652 दिनांक 12.07.2023 द्वारा सुश्री रितिका से स्पष्टीकरण किया गया है, जिसका जबाब संतोषजनक नहीं दिया गया है। साथ ही यह भी प्रतिवेदित किया गया है कि पूर्व में भी कार्य में खराब प्रदर्शन के कारण इनका 50 प्रतिशत मानदेय कटौती किया गया है। साथ ही पुनः संविदा समाप्ति की अनुशंसा की गयी है।

बंदोबस्त पदाधिकारी से प्राप्त प्रतिवेदन एवं संचिका में रक्षित अभिलेखों की समीक्षा की गयी है। बंदोबस्त पदाधिकारी द्वारा लगाए गए आरोप के आलोक में सुश्री रितिका को अपना पक्ष रखने हेतु बार–बार अवसर प्रदान किया गया है, परन्तु इसका अनुपालन इनके द्वारा नहीं किया गया है, जिससे स्पष्ट है कि इन्हें अपने पक्ष में कुछ नहीं कहना है। साथ ही ये अपने साथ सरकारी अभिलेख लेकर चली गयी है, जिसे जमा करने हेतु निदेशित करने पर भी इनके द्वारा जमा नहीं किया जा रहा है। इनके द्वारा वरीय पदाधिकारियों के आदेश की अवहेलना की जा रही है, जो घोर अनुशासनहीनता, मनमानापन एवं स्वेच्छाचारिता का परिचायक है।

विशेष सर्वेक्षण कार्य में ऐसे कर्मियों के संलग्न रहने से कार्य की गुणवत्ता के साथ–साथ अभिलेख आदि की रक्षा प्रभावित होगी एवं इसका कुप्रभाव अन्य कर्मियों पर भी पड़ेगा, इसके दृष्टिगत इनका संविदा में बनाए रखना कार्यहित में उचित नहीं होगा।

अतः **''बिहार विशेष सर्वेक्षण मानदेय आधारित संविदा नियोजन नियमावली, 2019 के नियम 8(4)''** के आलोक में श्री सुश्री रितिका राज, विशेष सर्वेक्षण अमीन (AEN01018) का संविदा समाप्त किया जाता है।

(जय सिंह) 7/12/23
निदेशक
भू–अभिलेख एवं परिमाप

**ज्ञापांक** :– 01/भू0अ0नि0(2)राज्य यो0(मुंगेर)–16/2021 9158 **पटना, दिनांक** :– 12/12/2023

**प्रतिलिपि** :– श्री सुश्री रितिका राज, विशेष सर्वेक्षण अमीन (AEN01018), बंदोबस्त कार्यालय, शेखपुरा को सूचनार्थ प्रेषित।

**निदेशक** 7/12/23
भू–अभिलेख एवं परिमाप

9158

**ज्ञापांक** :– 01/भू0अ0नि0(2)राज्य यो0(मुंगेर)–16/2021 9158 **पटना, दिनांक** :– 12/12/2023

**प्रतिलिपि** :– बंदोबस्त पदाधिकारी, बंदोबस्त कार्यालय, शेखपुरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। निदेशित किया जाता है कि आरोपित द्वारा ले जायी गयी सामग्री/अभिलेख जमा कराने हेतु आवश्यक कार्रवाई की जा जाय। अगर सरकारी अभिलेख जमा नहीं किया जाता है तो प्रावधानित नियम के आलोक में कार्रवाई की जाए।

**निदेशक** 7/12/23
भू–अभिलेख एवं परिमाप

**ज्ञापांक** :– 01/भू0अ0नि0(2)राज्य यो0(मुंगेर)–16/2021 9158 **पटना, दिनांक** :– 12/12/2023

**प्रतिलिपि** :– श्रीमती सरिता कुमारी, प्रोग्रामर, भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने एवं इसकी स्कैन कॉपी R2R अन्तर्गत संधारित सुश्री रितिका की व्यक्तिगत संचिका में अपलोड करने हेतु प्रेषित।

**निदेशक** 7/12/23
भू–अभिलेख एवं परिमाप